

प्री-के के लिए आवश्यक दस्तावेज़

कोविड-19 के कारण, स्कूल खुलने तक नामांकन विंडो को संशोधित करके ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। अब सारे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्वीकार किए जा रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन के लिए सारे दस्तावेज अपने स्कूल द्वारा नामित के ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके स्कूल का नामित कौन है तो कृपया अपने स्थानीय स्कूल से संपर्क करें।

- **जन्म का प्रमाण (सितंबर 1, 2020 तक या उससे पहले आपके बच्चे की उम्र चार वर्ष होनी चाहिए)**
मूल प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र, जन्म का लाइव हॉस्पिटल रेकॉर्ड, ग्रीन कार्ड, पिंक कार्ड या फेडरल I-94 कार्ड; या बच्चे का पासपोर्ट (इन दस्तावेजों की प्रति स्वीकार नहीं की जाती है)।
- **कानूनी अभिभावक का प्रमाण (यदि लागू हो)**
इसकी आवश्यकता तभी है यदि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर आपका नाम नहीं लिखा हो।
- **माता-पिता/अभिभावक की पहचान का सबूत**
राज्य या सरकार द्वारा जारी वैध फोटो आईडी, जैसे Georgia का ड्राइविंग लाइसेंस या वैध यूएस पासपोर्ट आईडी।
- **माता-पिता/अभिभावक के Georgia में निवास का सबूत***
आपके नाम पर गिरवी या लीज/किराया अनुबंध, आपके नाम पर बिजली, गैस या पानी का बिल, केवल या फोन का बिल स्वीकार्य नहीं हैं।

* वैसे छात्र जो अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ किसी अन्य वयस्क के घर में रहते हैं और DeKalb काउंटी स्कूल में नामांकन चाहते हैं, उन्हें आवासीय एफडेविट फॉर्म भरना होगा।

कृपया ध्यान दें: इस कोविड-19 के कारण बंदी की अवधि के दौरान, आवासीय एफडेविट की आवश्यकता वाले परिवार निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उपयोग करके फॉर्म को भरकर अपलोड कर सकते हैं:

1. माता-पिता/अभिभावक को फॉर्म का पेज 2 और 3 भरकर नोटरी से सत्यापित करवाना होगा।
2. मकान मालिक को फॉर्म का पेज 4 भरकर हस्ताक्षर करना होगा। पेज 4 पर स्कूल के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है।
3. पेज 5 को अभी भरने की आवश्यकता नहीं है।
4. पूरे भरे हुए फॉर्म (और आवास के प्रमाण के लिए आवश्यक अन्य सभी दस्तावेज) स्कूल द्वारा नामित को ईमेल के द्वारा भेज दें। यदि आपको स्कूल के नामित की जानकारी नहीं है तो कृपया स्कूल से संपर्क करें।

कोविड-19 के कारण, स्कूलों के फिर से खुलने तक नामांकन विंडो को सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने के लिए संशोधित किया गया है।

- **बच्चे का मूल सोशल सेक्यूरिटी कार्ड या "वेवर" (त्याग)**
यदि किसी छूट की आवश्यकता है तो यह पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान की जाएगी।
- **बच्चे का पीच कार्ड, मेडिकेड कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ईबीटी कार्ड (भोजन टिकट) और / या टीएनएफ (यदि लागू हो)**
- **टीकाकरण प्रमाणपत्र (3231)**
- **देखने, सुनने, पोषण एवं डेंटल स्क्रीनिंग प्रमाणपत्र (3300)**
- **कोविड-19 के कारण, माता-पिता/अभिभावकों को स्कूल के नामित के पास ईमेल के द्वारा दस्तावेज 3231 जमा करने के लिए 30 दिनों और दस्तावेज 3300 जमा करने के लिए 90 दिनों का समय है।**

प्री-के सीट का आवंटन आवश्यक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर निर्भर करता है।